दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पांच वर्ष बाद शुक्रवार को एक आरोपित को सजा दी गई। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

मल्हीपुर थाना क्षेत्र के द्वारिका गांव बगिया निवासी वंशी उर्फ वंशीलाल पुत्र हरीराम वर्मा ने वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके विरुद्ध 26 अगस्त 2017 को मल्हीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को उस दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना पूरी कर पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो ने आरोपी वंशीलाल को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

50 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर दबोचा

आत्मरक्षा में आरोपित के पैर में लगी गोली तमंचा, कारतूस, खोखा व बाइक बरामद

जागरण संवाददाता • श्रावस्ती : भिनगा पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात भिनगा जंगल में अंटा तिराहे पर मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी को दबोच लिया। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से किए गए फायर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आरोपित के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा व बाइक बरामद हुई है।

एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि एएसपी प्रवीण कुमार यादव और सीओ संतोष कुमार के निर्देशन में गुरुवार की रात भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सर्विलांस सेल के प्रभारी उपनिरीक्षक नितिन यादव टीम के साथ मिले। पुलिस टीम की आपसी बातचीत के दौरान सूचना मिली कि एक इनामी अपराधी जिसे बलरामपुर की पुलिस तलाश रही है, वह बाइक से भिनगा जंगल में अंटा तिराहे से होकर जानकीनगर जाने वाले रास्ते पर निकलने वाला है। दोनों टीम अंटा तिराहे से जानकी नगर जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे। इस दौरान

भिनगा जंगल में अंटा तिराहे के पास मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद कंधे के सहारे आरोपित को ले जाती पुलिस • जागरण

अंटा तिराहे की ओर से बाइक आने की रोशनी दिखाई दी। पास पहुंचने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने पुलिस को अचानक देख कर बाइक मोड़ कर भागना चाहा। इससे बाइक गिर गई।

आरोपित ने पुलिस टीम पर किया फायर: पुलिस उसकी ओर बढ़ी तो वह जंगल के अंदर भागने लगा। पुलिस टीम ने रुकने के लिए कहा तो आरोपित ने टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट के बायीं ओर छूते हुए निकल गई। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में आरोपित के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। आरोपित के कब्जे से तमंचा, कारतूस के साथ लाल रंग की बाइक बरामद हुई। गिरफ्तारी टीम में भिनगा के प्रभारी निरीक्षक के अलावा वरिष्ठ उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार, बंठिहवा पुलिस चौकी प्रभारी राणा विशाल प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह, तौसीफ खां, अवनीश विक्रम सिंह व दिव्यांशु श्रीवास्तव, सर्विलांस सेल के प्रभारी, आरक्षी अभिषेक सिंह व अमित पाल शामिल रहे।

दूसरे जिलों में भी दर्ज हैं कई मुकदमे

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सोनू उर्फ ननके निवासी खटिकनपुरवा इंस्पेक्टरपुरवा पूरे दीनामगढ़ थाना इकौना बताया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले बलरामपुर जिले के महराजगंज तराई क्षेत्र में भेड़ चोरी की थी। बलरामपुर पुलिस उसे तलाश रही थी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित पर पुलिस उप महानिरीक्षक गोंडा की ओर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आरोपित के विरुद्ध गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती में गैंगस्टर, हत्या के प्रयास, चोरी, पशु चोरी, आर्म्स एक्ट के 24 मुकदमें दर्ज हैं। आरोपित पर भिनगा कोतवाली में कार्रवाई की जा रही है।